

फाइल सं - हिक/प्रशि/2506

दिनांक 30/05/2016

सेवा में /To

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी (हिन्दी)/ SAO/AO Incharge (Hindi)
रक्षा लेखा नियंत्रक चेन्नई संगठन के अधीन सभी उप कार्यालय
All Sub Offices under CDA Chennai Organisation .

विषय - केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का
27 वां सत्र (जुलाई 2016 से मई 2017)

Sub - Hindi Prabodh, Praveen and Pragya Correspondence Courses under Central Hindi
Training Institute Sesion - July 2016 to May 2017 (27th Session)

उपरोक्त विषय पर केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली का दिनांक 13/05/2016 का पत्र संख्या
19015/1/2016-प पा/केंहिप्रसं/4155-5155 को सभी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई के लिए इस कार्यालय के
वैबसाइट यानि www.cdachennai.nic.in पर अपलोड किया गया है।

Central Hindi Training Institute letter no. 19015/1/2016-प पा/केंहिप्रसं/4155-5155 dated 13/05/2016
on the above subject is posted on Office website www.cdachennai.nic.in for information and necessary
action please.

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि राजभाषा अधिनियमों / नियमों के अनुसार कार्यालय में कार्यरत सभी
अधिकारियों / कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय को
सूचित करते हुए, अपने कार्यालय में कार्यरत सभी अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों को निकटतम हिन्दी शिक्षण
योजना के केंद्र में या पत्राचार के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त हिन्दी टंकण एवं हिन्दी
आशुलिपि में अप्रशिक्षित टंककों एवं आशुलिपिकों को भी अपेक्षित प्रशिक्षण दिलाया जाए।

It may be mentioned here that as per OL Act / Rule all the Officers and Staff serving in the Office
should possess working knowledge of Hindi. Hence it is requested that all the Officers/individuals who
are not trained in Hindi may be nominated for Hindi training in the nearest Hindi Teaching Scheme centre
or through correspondence course. Further typists and Stenographer who are not trained in Hindi Typing
and Hindi Stenography may also be nominated for the concerned training programmes.

(ज्योति सुरेश)

सहायक निदेशक (राजभाषा) / AD(OL)

